संख्या- 39/2020/1070/छप्पन-2020-42/2008A(1)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2020

विषय: कुशीनगर हवाई अड्डे के परिसर में स्थित अवरोधों को हटाए जाने तथा बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-83/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 04 जून, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर के प्रस्तावानुसार पूर्व स्वीकृत कार्यों की संशोधित लागत पर स्वीकृति एवं अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल लागत रू0 4,15,72,713/- (रूपया चार करोड़ पन्द्रह लाख बहत्तर हजार सात सौ तेरह मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्रांक: 729/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे के परिसर में स्थित अवरोधों को हटाए जाने तथा बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना के कार्य हेतु शासनादेश संख्या-21/2020/249/छप्पन-2020-42/2008ए(1) दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने की अनुमति निम्न विवरणानुसार निर्गत की गई थी:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य कराने वाले विभाग का नाम	आगणन की धनराशि
1.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं अन्यत्र स्थापित किया जाना।	बेसिक शिक्षा विभाग	32.64 लाख + 51.62 लाख
2.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित पम्प हाउस का ध्वस्तीकरण।	नलकूप विभाग	1,40,640 /-
3.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित अनुसूचित प्रा0पा0 नरायनपुर का ध्वस्तीकरण।	समाज कल्याण विभाग	1.92 लाख
4.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित मन्दिर का ध्वस्तीकरण।	लोक निर्माण विभाग	2.29 लाख
5.	कुशीनगर एयरपोर्ट पर 11 के0वी0ए0 बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कसया	3,55,87,071/-
	योग		**4,45,74,711/-**
कुल योग शब्दों में- रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र			

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04 जून, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या 21/2020/249/छप्पन-2020-42/2008ए(1), दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा रू0 4,45,74,711/- निर्गत की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए पूर्व स्वीकृत कार्यों एवं कतिपय अतिरिक्त कार्यों की लागत को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए व्यय की अनुमति प्रदान की जानी है। सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों की स्वीकृत लागत तथा पुनरीक्षित स्वीकृत लागत का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कराने वाले विभाग का नाम	स्वीकृत लागत (रूपए में)	पुनरीक्षित लागत (रूपए में)
1	2	3	5	6
अ. पूर्व स्वीकृत कार्य				
1.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं अन्यत्र स्थापित किया जाना।	बेसिक शिक्षा विभाग	32.64 लाख + 51.62 लाख	1,94,000+51,62,000 = 53,56,000/-
2.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित पम्प हाउस का ध्वस्तीकरण।	नलकूप विभाग	1,40,640 /-	1,40,640/-
3.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित अनुसूचित प्राथमिक पाठशाला नरायनपुर का ध्वस्तीकरण।	समाज कल्याण विभाग	1.92 लाख	45,000/-
4.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित मन्दिर का ध्वस्तीकरण।	लोक कल्याण विभाग	2.29 लाख	46,000/-
5.	कुशीनगर एयरपोर्ट पर 11 के0वी0ए0 बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कसया	3,55,87,071/-	3,55,87,071/-
	योग (अ)		**4,45,74,711/-**	**4,11,74,711/-**
ब. अतिरिक्त कार्य, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति के साथ व्यय की अनुमति प्रदान की जानी है				
क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कराने वाले विभाग का नाम	पूर्व स्वीकृत लागत	स्वीकृत लागत
1.	पुरानी ए0टी0सी0 बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण।	लोक निर्माण विभाग	-	98,000/-
2.	पुरानी बाउण्ड्रीवाल का ध्वस्तीकरण।	लोक निर्माण विभाग	-	2,68,000/-
3.	वृक्षों को हटाने का कार्य।	वन विभाग	-	32,002/-
	योग (ब)		-	3,98,002/-
	महायोग (अ+ब)		-	**4,15,72,713/-**
कुल योग शब्दों में- रूपया चार करोड़ पन्द्रह लाख बहत्तर हजार सात सौ तेरह मात्र				

उपर्युक्त तालिका के अनुसार शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 4,45,74,711/- में से पूर्व स्वीकृत कार्य एवं अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने हेतु रू0 4,15,72,713/- की आवश्यकता है। इस प्रकार धनराशि रू0 30,01,998/- की बचत होती है।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-21/2020/249/छप्पन-2020-42/2008ए(1), दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, जिसका विवरण उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित है, के स्थान पर प्रस्तर-3 में अंकित विवरणानुसार स्वीकृत कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ जिलाधिकारी, कुशीनगर के निवर्तन पर उपलब्ध धनराशि रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रू0 4,15,72,713/- (रूपया चार करोड़ पन्द्रह लाख बहत्तर हजार सात सौ तेरह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृत के साथ व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ओदशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(9) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(10) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(13) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा।

(14) प्रस्तर-2 में अंकित विवरणानुसार शासनादेश संख्या-21/2020/249/छप्पन-2020-42/ 2008ए(1), दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रस्तर-3 में अंकित विवरणानुसार कराए जाने वाले कार्यों के सापेक्ष निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति के अन्तर की अवशेष धनराशि रू0 30,01,998/- (रूपए तीस लाख एक हजार नौ सौ अठानवे मात्र) यथा प्रक्रिया प्रदेश सरकार के राजकोष में जमा कराए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा ।

(15) शासनादेश संख्या-21/2020/249/छप्पन-2020-42/2008ए(1), दिनांक 06 मार्च, 2020 में इंगित शर्तें एवं प्रतिबन्ध भी यथावत् रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-622/दस-2020, दिनांक 03 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0- 39/2020/1070(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4.
7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in